



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-30.07.2025

**विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लालपुर पाण्डेयपुर मे पंजीकृत हत्या के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व कुल 20,000/- रु0 का अर्थदण्ड ।**

थाना लालपुर पाण्डेयपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0158/2022 धारा 302,504 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त दशमी राजभर पुत्र प्रेमी राजभर निवासी- सोयेपुर थाना लालपुर पाण्डेयपुर कमि0 वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लालपुर पाण्डेयपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 30.07.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-05 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अन्तर्गत धारा 302 भा0द0वि0 के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास तथा 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।